न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2019 (2019 / 00084)

1. बजरंग पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत
2. मिश्रीलाल पुत्र रामनारायण जाति कुमावत
3. रतना पुत्र उगमा जाति कुमावत
4. रामदेव पुत्र उगमा जाति कुमावत
5. बद्री पुत्र भूरा जाति कुमावत

निवासीगण ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

6. हंसराज पुत्र गोपाल जाति कुमावत
7. रामविलास पुत्र गोपाल कुमावत
8. गोपाल पुत्र गोमा जाति कुमावत

निवासीगण ग्राम उम्मेदपुरा (सलारी)तहसील केकड़ी जिला अजमेर

9. गोकल पुत्र बख्धा जाति कुमावत
10. मूलचंद पुत्र बख्धा जाति कुमावत
11. उंकार पुत्र बख्धा जाति कुमावत
12. रामनारायण पुत्र बख्धा जाति कुमावत
13. रामसुख पुत्र बख्धा जाति कुमावत

श्नवासीगण ग्राम उम्मेदपुरा हाल थली तहसील देवली जिला टोंक (राजस्थान) ——प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र हजारी जाति कुमावत
2. रामनिवास पुत्र हजारी कुमावत

निवासीगण उम्मेदपुरा (सलारी)तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल चौधरी वकील— प्रार्थीगण
2. श्री अनुराग पाण्डे —अप्रार्थी संख्या 1,2
3. तहसीलदार केकड़ी — पैराकार सरकार अप्रार्थी संख्या 03

आदेश

दिनांक 07.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069—72 मे अंकित हमारी जोत निम्नलिखित खसरा नंबर 799 रकबा 0.07किस्म नहरी 1,व खसरा नंबर 805रकबा 0.07,किस्म नहरी 1,खसरा नंबर 806 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म नहरी 1,खसरा नंबर 792 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म नहरी 1,खसरा नंबर 779 रकबा 0.[illegible] किस्म नहरी 1 व खसरा नंबर 801 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म नहरी 1 वाकै ग्राम [illegible] केकड़ी मे स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण [illegible] व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त वर्णित आराजी [illegible] मात्र पुराना रास्ता जो [illegible] फुट चौड़ा है जो खसरा नंबर 793 रककबा 0.01 हैक्टर [illegible]स्म नहरी 1 व खसरा [illegible] रकबा 0.02 हैक्टर, किस्म नहरी 1,खसरा नंबर 800 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म नहरी 1 व खसरा नंबर 803 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म नहरी 1 स्थित है। यह आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी मे दर्ज है। और प्रार्थीगण की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजी मे आने जाने का रास्ता वर्तमान खसरा नंबर 793,794,800,803,804 मे मौजूद है।

अप्रार्थीगण संख्या 01,02 दिनांक 29.05.2019 को उक्त रास्ते मे से होकर प्रार्थीगण को आने जाने मे बाधा उत्पन्न करने लग गये तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदार मे दर्ज होने के कारण आये दिन रास्ते को कॉंटे की बाड लगाकर अवरूद्ध कर देते है जिससे आने जाने मे बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.05.2019 को रास्ता अवरूद्ध नहीं करने व रास्ता खुलासा करने बाबत् निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण ने कोई सुनवाई नही की बल्कि लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे आने जाने का बैलगाडी,ट्रेक्टर ट्रोली,कृषि उपज लाने ले जाने,पशुओ आदि को आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता 20 फुट चौडा जो अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 793,794,800,803,804मे स्थित है,को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मे भी रास्ते का इन्द्राज किया जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 03 को आदेश दिया जावे और अप्रार्थी संख्या 03 को आदेश दिया जावे और अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को पाबंद किया जावे कि उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर अदा करनें के लिए तैयार एवं तत्पर है। प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के अभिभाषक श्री अनुराग पाण्डे ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने जवाब मे बताया कि खसरा नंबर 793,794,800,803,804 अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी व कब्जे काश्त ककी आराजीयात है। उक्त आराजीयात मे से होकर न तो पूर्व मे कभी कोई रास्ता निकलता था ओर न ही वर्तमान मे है, प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है,जो मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योगय है। खसरा नंबर 793,794,800,803,804 मे तो मौके पर कोई रास्ता है ना ही कभी था तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे भी किसी प्रकार के रास्ते बाबत् कोई अंकन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे प्रस्तावित रास्ते को कहां से कहां तक ले जाया जाना है। इस बारे मे किसी प्रकार के कोई कथन नही किये गये है इसलिए भी यह प्रार्थना पत्र खाजिर किया जाने योग्य है। तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार केकड़ी ने अपनी मौका रिपोर्ट उनके कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2020/1683 दिनांक 05.08.2020 से प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खेतों के निकटतम दूरी के किसी भी स्वीकृतशुदा रास्ते का वर्णन नहीं है,तथा न ही अप्रार्थीगण के खेत मे से निकल रही सरकारी नहर का वर्णन नहीं है। अप्रार्थीगण को मौके पर भी नहीं बुलाया गया है और न ही नजरी नक्शा संलग्न किया है। आपत्ति स्वीकार की जाकर तहसीलदार केकड़ी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार केकडी द्वारा पुनः मौका जॉच रिपोर्ट अपने कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ./2021/2236 दिनांक 06.04.2021 द्वारा प्रस्तुत की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण [illegible] ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो [illegible] द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की [illegible] मे रास्ते मे आने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर से दुगनी राशि संबंधित पक्षकारान को [illegible] करने हेतु सहमति जाहिर की। पेशकार सरकार द्वारा भी तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट मे दर्शाये अनुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

स्वीकृत करने मे सहमति जाहिर की है। अप्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री अनुराग पाण्डे ने जवाब दावे मे अंकित कथनो को दौहराया,तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारिज किया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी प्रस्तुत तर्को मे बल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है।अप्रार्थीगण के लायक वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया,अतः अस्वीकार किया जाता है। ग्राम सलारी के खसरा नंबर 799,805,806,792,779,801 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। जिरागे आने जाने हेतु ग्राम सलारी के मजरा उम्मेदपुरा के आबादी खसरा नंबर 593 के पश्चात चक तालाब की पाल के उपर से गुजरने के पश्चात खसरा नंबर 796,797,794 से आवागमन कर रहा है। रास्ता 6 मीटर चौड़ा खसरा नंबर की लंबाई अनुसार लिया जावे ,खसरा नंबर 794 मे से 200 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 8126रू,खसरा नंबर 789 मे से 108 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 4388रू,खसरा नंबर 792 रकबा 132 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 5364,खसरा नंबर 801 रकबा 120 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 4876रू,खसरा नंबर 802 मे से 132 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 5364 रू खसरा नंबर 793 मे से 72 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 2926 रू, खसरा नंबर 798 मे से 168 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 2926 रू खसरा नंबर 799 मे से 72 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 2926 रूपये खसरा नंबर 805 मे से 60 वर्गमीटर प्रतिकर राशि 2438 रू कुल प्रतिकर राशि 43234रू होती है। अतः तहसीलदार केकड़ी उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर उपर्युक्त भूमि जो रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होगी,के खातेदारान को भुगतान की जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner